[illegible]

वादी उप० प्रति० [illegible]
वकील जिरह के लिए एक
अवसर चाहते हैं। वास्ते
जिरह बाबत वादी दिनांक
21-2-18 को पेश हो।

SDO देसूरी

21-2-18

मुकदमा उपस्थित।
वादी उपस्थित वकील वादी/
प्रतिवादी जिरह के लिए
समय चाहते हैं, एक अवसर
दिया जाता है। पत्रावली
दि० 2/5/18 को पेश हो।

[illegible]

SDO देसूरी

[illegible]

2/5/18 पत्रावली पेश [illegible] उपस्थित/पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने कारण पत्रावली दिनांक 7/5/18 को पेश हो। वादी उप०

4/6/18

न्याय आपके द्वार अभियान
2018 शिविर नारलाई

पत्रावली राजस्व लोक अदालत व
केम्प नारलाई प्रस्तुत हुई। वादी उप०
वाद वादी बाबत विभाजन स्वीकार
किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक
से लिखाया जाकर संलग्न किया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर राख्यागार में
जमा हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देसूरी(पाली) राज. केम्प कोर्ट नारलाई

पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेश मेवाडा (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 78/2014
दायर तिथि :– 27.01.2017
निर्णय दिनांक :– 04.06.2018

वादी :–

1. नारायणलाल पुत्र चमनाजी जाति–कलाल
   निवासी–नारलाई, तहसील–देसूरी
   जिला–पाल, राजस्थान

ब ना म

प्रतिवादीगण :–

1. ओगडराम पुत्र जेठाजी गोदपुत्र रताजी
2. मांगीलाल पुत्र भीमाजी
3. पूनाराम पुत्र भीमाजी
4. पुष्पा पुत्री भीमाजी
5. कस्तुर पुत्री भीमाजी
6. वगताराम पुत्र वनाजी
7. घीसाराम पुत्र वनाजी
8. भानाराम पुत्र जेठाजी
9. टीपूबाई पत्नि जेठाजी
10. पकाराम पुत्र केसाजी
11. जसाराम पुत्र केसाजी
    जातिगण–सिरवी, निवासीगण–नारलाई
    तहसील–देसूरी, जिला–पाली, राजस्थान
12. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार देसूरी

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :– **दिनांक :–04.06.2018**

पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट नारलाई प्रस्तुत हुई। पक्षकारान वादी उपस्थित व प्रतिवादीगण अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या 12 तहसीलदार, देसूरी उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान वादी व प्रतिवादीगण को सुना गया। वादी ने यह वाद बाबत विभाजन अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थानकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा नारलाई तहसील देसूरी में स्थित कृषि भूमि ख.सं. 1528, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539 कुल रकबा 8.0800 हेक्टर वादग्रस्त कृषि भूमि "बेरा बिजलिया" के नाम से विद्यमान है। उक्त वादग्रस्त भूमि वादी का 1/2 हिस्सा एवं शेष प्रतिवादी संख्या एक लगाय ग्यारह के हिस्से की खातेदारी व कब्जासूद वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उक्त वादग्रस्त भूमि मे वादी का 1/2 व शेष प्रतिवादी एक लगाय ग्यारह की पृथक–पृथक काबिज काश्त है। तथा वादी ने यह वाद बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स 1/2 हिस्से के अनुरूप विभाजन करने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 10 के द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर वादग्रस्त

पेज लगातार 2 पर...

भूमि में वादी का 1/2 होना व शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 व 7, 8, 10, 11 का बदला–बदली विभजान एवं हक त्याग से कोई हक हिस्सा नहीं होना जाहिर किया व वाद में आवश्यक पक्षकार नहीं होना व अंकित किया। जिसकी पुष्टि मे हकतर्क दस्तावेज 10.08.2015 की प्रति भी प्रस्तुत की गई। इस संबंध में वादी के 1/2 हिस्सा वादग्रस्त भूमि में निहित होने संबंधी कोई इनकार प्रतिवादीगण द्वारा नहीं किया गया। प्रतिवादी संख्या 10 के अलावा अन्य किसी भी प्रतिवादी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। चूंकि प्रतिवादी संख्या 10 के द्वारा अपने जवाब में वादग्रस्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा होना माना है। ऐसी स्थिति में वादी को वादग्रस्त भूमि में धारित 1/2 हिस्से का विभाजन स्वीकार किया जाना विधि सम्मत उचित प्रतीत है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त मौजा नारलाई तहसील देसूरी में स्थित कृषि भूमि ख.सं. 1528, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539 कुल रकबा 8.0800 हेक्टर में वादी का 1/2 हिस्सा अनुरूप बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार देसूरी वादग्रस्त भूमि का माफिक हिस्सा बाइ मिट्स एण्ड बाउण्ड्स एवं कब्जे के अनुरूप पक्षकारान के मध्य विभाजन कर समान रूप से भूमि, रास्तों इत्यादि की सुविधा रखते हुये अलग–अलग खसरा नम्बर, क्षैत्रफल, किस्म , लगान वर्णित कर विभाजन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। विभाजन रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर पृथक से इजराय पत्रावली कायम की जावें। इस आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार देसूरी व पटवारी हल्का नारलाई को भिजवाई जावें। डिकी परचा जारी किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2018 को केम्प कोर्ट नारलाई में सुनाया गया।

खण्ड अधिकारी
देसूरी

(राजेश मेवाडा)
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

दिनांक :– 04.06.2018

कमांक/रीडर/2018/
प्रतिलिपि :– पालनार्थ।

1. तहसीलदार देसूरी
2. पटवारी हल्का नारलाई।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

प्रपत्र 5

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी
शिविर – नारलाई

पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेश मेवाडा आर.ए.एस.

वादी :–

1. नारायणलाल पुत्र चमनाजी जाति–कलाल
   निवासी–नारलाई, तहसील–देसूरी
   जिला–पाल, राजस्थान

ब ना म

प्रतिवादीगण :–

1. ओगडराम पुत्र जेठाजी गोदपुत्र रताजी
2. मांगीलाल पुत्र भीमाजी
3. पूनाराम पुत्र भीमाजी
4. पुष्पा पुत्री भीमाजी
5. कस्तुर पुत्री भीमाजी
6. वगताराम पुत्र वनाजी
7. घीसाराम पुत्र वनाजी
8. भानाराम पुत्र जेठाजी
9. टीपूबाई पत्नि जेठाजी
10. पकाराम पुत्र केसाजी
11. जसाराम पुत्र केसाजी
    जातिगण–सिरवी, निवासीगण–नारलाई
    तहसील–देसूरी, जिला–पाली, राजस्थान
12. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार देसूरी

दावा बाबत 53, 188, राज.काश्त. अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर :– **78/2014**

निर्णय दिनांक :– **04.06.2018**

वादीगण की ओर से **वादी उपस्थित** व प्रतिवादी की ओर से **प्रतिवादी** संख्या 12 **तहसीलदार देसूरी उपस्थित** में इस वाद में आज तारीख **04.06.2018** को (नाम पीठासीन अधिकारी) **राजेश मेवाडा आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त मौजा नारलाई तहसील देसूरी में स्थित कृषि भूमि ख.सं. 1528, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539 कुल रकबा 8.0800 हेक्टर में वादी का 1/2 हिस्सा अनुरूप बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार देसूरी वादग्रस्त भूमि का माफिक हिस्सा बाइ मिट्स एण्ड बाउण्ड्स एवं कब्जे के अनुरूप पक्षकारान के मध्य विभाजन कर समान रूप से भूमि, रास्तों इत्यादि की सुविधा रखते हुये अलग–अलग खसरा नम्बर, क्षैत्रफल, किस्म , लगान वर्णित कर विभाजन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। विभाजन रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर पृथक से इजराय पत्रावली कायम की जावें। इस आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार देसूरी व पटवारी हल्का नारलाई को भिजवाई जावें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **04** माह **जून** सन् **2018** को जारी किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी

(राजेश मेवाडा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी